न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर0सं0–26/2020

दाउदनगर थाना कांड संख्याः–12/2021

20.01.2021 आवेदक/अभियुक्त जफीर अहमद न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल करते है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई । आवेदक की ओर से वाहन चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं उक्त वाद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन का आर.सी एवं अन्य कागजात की छायाप्रति दाखिल किया गया ।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक निर्दोष है और उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है । आवेदक उक्त वाद में जप्त पिकअप निबंधन संख्या–BR02GB1702 का चालक है । उक्त वाद की सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते है ।

सुना । अभिलेख्य का अवलोकन किया । जिससे विदित होता है कि प्राथमिकी पिकअप निबंधन संख्या–BR02GB1702 का चालक के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 एवं 427 भा0दं0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है । आवेदक के द्वारा स्वयं का चालक अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति दाखिल किया गया है । उपरोक्त सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदक स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह संभव प्रतीत होता है कि वह विचारण का सामना करेगा । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ आवेदक का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक को मो0–5000X1 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

पश्चात्

20.01.2021 आवेदक पिकअप निबंधन संख्या–BR02GB1702 का स्वामी संतोष कुमार की ओर से शक्ति पत्र के साथ वाहन मुक्ति हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया। जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि उपरोक्त वाहन को आवेदक के पक्ष में मुक्त किया जाय ।

सुना । अभिलेख्य का अवलोकन किया । उक्त वाद के अनुसंधानक को निर्देश दिया जाता है कि यांत्रिक जाँच परीक्षण प्रतिवेदन के साथ इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक–09.02.2021 तक समर्पित करें कि उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है या नही । कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी को भेंजे।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

पश्चात्

20.01.2021 जिला परिवहन पदाधिकारी, गया को निर्देश दिया जाता है कि पिकअप निबंधन संख्या–BR02GB1702 का स्कीन प्रतिवेदन दिनांक–09.02.2021 तक समर्पित करें। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आदेश की छायाप्रति सम्बन्धित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेंजे ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।